तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.08/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
27.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) राजाराम चौधरी पुत्र पुत्र लखमाजी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुनीराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) नटवर लाल पुत्र मरगा भाई पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म के.एम. पटेल एण्ड कम्पनी, बी/54 रिको कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 03.2.2023 को फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी पुत्र लखमाजी चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1996 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./202/Act/2023/247 दिनांक 16.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (एक) ने नियत सुनवाई तिथि 19.4.2024 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (दो) को नोटिस की तामिल होने पर प्रतिवादी संख्या–2 (दो) के पुत्र कल्पेश पटेल ने नियत सुनवाई तिथि 27.5.2024 को उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या–2 (दो) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या– 1 (एक) की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रजवाडी ब्राण्ड चाय पत्ती का नमूना लिया गया था। मेरे द्वारा उक्त चाय पत्ती रजवाडी ब्राण्ड को फर्म के.एम. पटेल से क्रय किया था जो मेरे द्वारा विक्रय किया गया है। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि हमारी कम्पनी द्वारा रजवाडी चाय पत्ती को पैकिंग कर विक्रय किया जाता है एवं हमारे द्वारा अब लेबल में सुधार कर दिया है, इसलिये जवाब को रेकर्ड पर लेकर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.08/2024**	नम्बर व तारिख हुक्म जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 03.2.2023 को समय 6.00 पी.एम. पर फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी राजाराम चौधरी पुत्र लखमा जी चौधरी उपस्थित मिलें, जो फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़ में खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी को गवाह श्री रमेश, विनायक टिम्बर के पीछे, बंसल निवास, मानपुर, आबूरोड़ के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़ की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल) के 50 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 740/– (अक्षरे रुपये सात सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1996, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) को हिला मिलाकर एकरुप कर चार साफ, खाली व सूखी शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1996 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी व गवाह श्री रमेश के ....लगातार	

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मु०न्या० मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:43 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.08/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी व गवाह रमेश तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.2.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 03.2.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबरोड़, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राजाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1996 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./202/Act/2023/247 दिनांक 16.2.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) को फर्म के.एम. पटेल एण्ड कम्पनी से जरिये बिल क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या-2 (नटवर लाल पुत्र मरगाभाई पटेल) की प्रोपराईटरी फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या- 1 (एक) ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.08/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) की पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) का विक्रय करने हेतु प्रतिवादी राजाराम चौधरी पुत्र लखमाजी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुनिराज जनरल स्टोर, मानपुर चौराहा, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (रजवाडी के.एम. पटेल ब्राण्ड) के पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी नटवर लाल पुत्र मरगा भाई पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, के.एम. पटेल एण्ड कम्पनी, बी/54 रिको कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण राजाराम चौधरी व नटवर लाल को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.6.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:43 IST
Reason: SelfAttested